

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

॥ संकल्प ॥

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री वात्सलय मिश्र, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रशासी पदाधिकारी कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना के विरुद्ध सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के पक्ष में मो0 7,11,567/- (सात लाख ग्यारह हजार पाँच सौ सड़सठ) रुपया के सरकारी राशि के अवैध भुगतान, सत्यापन एवं जाँच में घोर लापरवाही, अंतर राशि की अनुचित स्वीकृति, नियम विरुद्ध आचरण एवं दायित्व का उल्लंघन करने के आरोप में विभागीय पत्रांक-2938 दिनांक-02.06.2026 द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से आरोप पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री मिश्र द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

श्री मिश्र के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री मिश्र से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन को अस्वीकार पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री वात्सलय मिश्र, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रशासी पदाधिकारी कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(5) में विहित प्रावधान के आलोक में अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में श्री सुभाष कुमार, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं श्री प्रशान्त कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप-पत्र की एक-एक प्रति (साक्ष्य सहित) श्री सुभाष कुमार, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर -सह-संचालन पदाधिकारी/श्री प्रशान्त कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री वात्सलय मिश्र, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रशासी पदाधिकारी कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कुमारी आरती)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-761/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री सुभाष कुमार, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर -सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-761/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के श्री प्रशान्त कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
-सह- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।

ह./-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-761/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री वात्सलय मिश्र, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहयोग
समितियाँ, पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रशासी पदाधिकारी कार्यालय संयुक्त
निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : / पटना, दिनांक :

8/नि.को.(रा.)विभागीय-761/2026

प्रतिलिपि :- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा-1), सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 5662 / पटना, दिनांक : 28/09/26

8/नि.को.(रा.)विभागीय-761/2026

प्रतिलिपि :- लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे
अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की
जाय।

hce
28/09/26

सरकार के उप सचिव।

⑤